A-27
दावा -34/17

"श्री पुखराज रावत V/S कल्याण नाथ वगैरा"

जी.ई.एन.4

दिनांक .....

क्रमांक .....

27/3/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/वादी उपस्थित। तस्दीकशुदा नकलों के प्राप्त विपक्षान जवाब दावा पेश। वकील वादी सुनी गई। वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रपत्र हिस्सा वादीगण को विक्रय कर दिया है। अतः तकादमा नहीं चाहते हैं। वकील मतरिक गण व प्राप्त स्थिति का अवलोकन किया गया। वर्तमान में विवादित खसरा नम्बर विपक्ष प्राधिकरण के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में तकादमा किस आधार पर चले। प्राप्त स्थिति के आधार पर वादी का दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्ती होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27/3/23 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner